तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की त... में जारी हु...
निर्णय	सरकार बनाम दीनमोहम्मद वगैरह मु.नं. 6/17 दिनांक 7/3/17 धारा 91 LR Act 1956	
7/3/17	पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान अतिक्रमी उप० संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ओलन्डा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि राजकीय भूमि ग्राम खोहरा ख० नं० 107 कुल रकबा 0.97 है। किस्म जमीन बजंड कदीम पर श्री दीनमोहम्मद, जबरुद्दीन, जमील पि० मेदू कौम मेव निवासी खोहरा तह० कामां द्वारा 0.30 है० रकबा पर जिंस सरसो बोकर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण दर्ज रजि० किया जाकर गैर सायलान के विरुद्ध राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में गैर सायलान अतिक्रमी उप० अदालत आये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया अतिक्रमित रकबा बजंड कदीम जो कि राजकीय एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिससे अतिक्रमियों को बेदखल किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों श्री दीनमोहम्मद, जबरुद्दीन, जमील पि० मेदू कौम मेव सा० खोहरा को ख० न० 107 कुल रकबा 0.30 है० वाके ग्राम खोहरा में फसल सरसो बोकर किये अतिक्रमण से बेदखल किया जाता है तथा लगान 2.70 की पचासगुणा राशि = 135/- रु० (एक सौ पैंतीस रुपये) से दण्डित किया जाता है। जिसकी L.R.A. को मांग कायम कराई जावे व पटवारी हल्का को पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु तथा खड़ी फसल को नीलाम कार्य नीलामी स्वीकृति हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7/3/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	नामा ... बस 2011 के पेज नं. 99 ... रु. 135 .... कार्यवाही की गई। तहसील राजस्व लेखा...